



क्रमांक: 3471 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 02 / 05 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दसवीं\* बैठक सोमवार, दिनांक 11 मई, 2015 को अपरान्ह

03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
(पृ.क्र. 01 से 5 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 1-28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करना।  
(पृ.क्र. 06 से 07 तक)  
टीप : पत्र की छायाप्रति संलग्न।
04. अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।  
(पृ.क्र. 8 से 11 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 12 से 14 तक)
06. मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 15 से 16 तक)
07. विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित किये जाने के संबंध में विचार करना।  
टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण कुछ खिलाड़ी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा तिथि एवं खेल प्रतियोगिता एक तिथि में आ जाता है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र.

\* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

79/638/आउशि./अका.प्र./09 भोपाल, दिनांक 27.01.2009 में विशेष परीक्षा का आयोजन की सुविधा दी जा रही है। पत्र की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 16)

सत्र 2014-15 में निम्नांकित 03 खिलाड़ी अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित हो गये -

क्र.	खिलाड़ी का नाम	परीक्षा के विषय
1.	रंजीत कुमार पटेल - बी.ए. प्रथम वर्ष हाफ मैराथन में आल इंडिया में स्वर्ण पदक क्रासकंट्री में विश्व संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता टर्की हेतु चयनित	राजनीति शास्त्र प्रथम, द्वितीय, इतिहास प्रथम, द्वितीय
2.	दिनेश कुमार साहू - बी.ए. प्रथम वर्ष केनोइंग एवं कायोकिंग अखिल भारतीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक	हिन्दी एवं अंग्रेजी
3.	गणेश कुमार साहू - बी.ए. प्रथम केनोइंग एवं कायोकिंग अखिल भारतीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक	हिन्दी एवं अंग्रेजी

प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

08. श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 17 से 21 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 22 से 30 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
10. वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 31 से -- तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
11. अकादमिक स्टाफ कालेज की एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 32 से 33 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
12. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

टीप : प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :-

प्राचार्य -

1. कोलंबिया कालेज प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर
2. बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला-दुर्ग
3. समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो. -बीजभाटा, जिला-बेमेतरा


4. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवभोग रोड, गरियाबंद
5. जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका-कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग
6. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
7. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो. -माना कैम्प, रायपुर
8. कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, रायपुर
9. श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम परिसर, राजनांदगांव
10. कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं.-2661/24, देवरी, भाटापारा
11. आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-483/1, पं.र.शु.विश्वविद्यालय जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडेमी, रायपुर
12. सांदिपनी एकेडेमी, अछोटी, प्लाट नं. -44, तह.-धमधा, मुरमुंदा, जिला-दुर्ग
13. शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांढर, जिला-रायपुर

**विभागाध्यक्ष शिक्षा -**

1. दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्यविहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 3472 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 02/05/2015

**प्रतिलिपि :-**

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक 26/3/2015

3166

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नवीं \* बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 को पूर्वान्ह 12:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5. डॉ. एस. सी. नैथानी	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	-	सदस्य
9. डॉ. एम. आई. मेमन	-	सदस्य
10. डॉ. पी. सी. अग्रवाल	-	सदस्य
11. डॉ. आर. बाला. सुब्रामनियम	-	सदस्य
12. डॉ. एस. के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
13. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
14. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

## —: कार्यवृत्त :-

**विषय क्रमांक—1** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

**विषय क्रमांक—2** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

**विषय क्रमांक—3** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार संशोधन शामिल करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक-2: शोध प्रबंध के परीक्षण में Plagiarism परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकार योग्य सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।

**विषय क्रमांक-4** वित्तीय सत्र 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** वित्तीय सत्र 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया।

**विषय क्रमांक-5** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

**विषय क्रमांक-6** परीक्षा सत्र 2014-15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

**निर्णय :** परीक्षा सत्र 2014-15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति में कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य के रूप में डॉ. भगवंत सिंह एवं संकाय के संकायाध्यक्ष के अंतर्गत डॉ. रोहिणी प्रसाद के नाम का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद् की ओर से एक सदस्य नियुक्त करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

**विषय क्रमांक-7** पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/- के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/- के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

**विषय क्रमांक-8** भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectrofluorimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US \$ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectrofluorimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US \$ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

**विषय क्रमांक-9** विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-74/2014/38-2 दिनांक 09.01.2015 पर विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-74/2014/38-2 दिनांक 09.01.2015 के निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाये। समस्त सदस्यों का अभिमत है कि शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय में भेदभाव किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता अतः कार्य परिषद् के सदस्यों की भावना की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करते हुए प्रकरण पुनः समन्वय समिति में रखने हेतु अनुरोध किया जाए।

**विषय क्रमांक-10** दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :** दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

### **-:पूरक विषय सूची :-**

**विषय क्रमांक-1** शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा Directorate of Physical Education के Equipment/Computer/Other Machine मद से बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/- के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/- के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

**विषय क्रमांक-2** Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

**विषय क्रमांक-3** दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय :** दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ रूपए 11,000/- मानदेय प्रदान किया जावे।

**विषय क्रमांक-4** Public Outreach Lecture हेतु प्रस्तावित मानदेय के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** Public Outreach Lecture के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों/विद्वानों/प्राध्यापकों के व्याख्यान में उपस्थित प्रमुख वक्ता/अतिथि को रूपए 2500/- मानदेय प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक-5 एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-6 रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. संजीत कुमार साहू के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-7 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. हरे कृष्णा के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-8 उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, अनुसार डॉ. (श्रीमती) प्रावती दास के नाम का अनुमोदन किया गया।

### :- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :-


1. विश्वविद्यालय द्वारा शोध पत्रिका का नियमित प्रकाशन हो तथा आवश्यकतानुसार त्रैमासिक/मासिक प्रकाशन की व्यवस्था हो।
2. विभागीय शोध समिति की बैठक में बाह्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर शामिल किया जावे।
3. नैक के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों के भौति शासकीय महाविद्यालयों का भी निरीक्षण कराया जावे तथा निरीक्षण के पश्चात् जानकारी, उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन भेजी जावे।
4. संबद्धता आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति हेतु निर्धारित तिथि के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा पालन प्रतिवेदन आवश्यक है।
5. माननीय कार्य परिषद् सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण पर अपील के संबंध में, बिंदुवार जानकारी के साथ पत्र प्रस्तुत किया। निर्णय लिया गया कि प्रकरण अपील पर तथ्यात्मक जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

डॉ. मिताश्री मित्रा, डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल एवं डॉ. एम. आई. मेमन का कार्य परिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, माननीय सदस्यों ने विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के पद पर संबंधित विभाग/महाविद्यालयों के कार्यों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय कार्यपरिषद् में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया। जिसके लिए कार्यपरिषद् सदस्यों के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



कुलपति  
अध्यक्ष




कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक 3167/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक 26/3/2015

प्रतिलिपि :-1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
3. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उपकुलसचिव (अका.)



6

छत्तीसगढ़ शासन  
समाज कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 1-28/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़,  
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय :- निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि बाबत।  
संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक 977/116/2010/सक/26, दिनांक  
16.09.2010।

—00—

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दृष्टिहीन एवं शारीरिक रूप से निःशक्त शासकीय सेवकों एवं पंचायतों के अधीनस्थ कार्यरत निःशक्त शिक्षाकर्मियों को दिनांक 01.09.2010 से (माह सितम्बर, 2010 का वेतन माह अक्टूबर, 2010 में देय) को उनके मूल वेतन छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण 2009 का 5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 300/- रुपये तथा अधिकतम 500/- रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ते की (नियम एवं शर्तों के अनुसार) स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2/ राज्य शासन एतद्वारा निःशक्त कर्मचारियों के वर्तमान वाहन भत्ते की दरों में दिनांक 01.01.2015 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2014-26-0014, दिनांक 05.02.2015 द्वारा प्रदाय है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पी.डी. दोहर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

// 2 //

पृ. क्रमांक एफ 1-28/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015  
प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2014-26-0014, दिनांक 05.02.2015 के संदर्भ में,
  3. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
  4. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
  5. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
  6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्ती), छत्तीसगढ़,
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
समाज कल्याण विभाग

ok

8

// कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //

विषय :- अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगिकृत किये जाने हेतु।

—00—

छत्तीसगढ़ शासन के ज्ञापन क्रमांक 304/सी-30974/वित्त /नियम/चार/2010 दिनांक 30.09.2010 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2009 में शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह का मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के बराबर अनुदान, रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार) अधिकतम की सीमा के अधीन स्वीकृत किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 के द्वारा उक्त को संशोधन करते हुए शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रुपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़

विषय:- शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत ।

- संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 25/45/99/ई.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 10.9.99
2. ज्ञापन क्रमांक 304/सी-30974/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30.9.2010

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के बराबर अनुग्रह अनुदान, रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार) अधिकतम की सीमा के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।


2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए ।

10

- 3/ दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को अनुदान की पात्रता संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 6 में उल्लेखित क्रम में होती है। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कंडिका 6 के अनुरूप परिवार के किसी सदस्य के न होने पर कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी अन्य सदस्य को भुगतान किया जाएगा।
- 4/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
- 5/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



24/03/2015

(एस. के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 73/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सूचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
  12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
  13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
 (ज्योति ठाकुर सोरी)  
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
 वित्त विभाग

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर  
संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये -

1	प्रो० एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुलसचिव
3	प्रो० बी०के० शर्मा	सदस्य
4	प्रो० रीता वेणुगोपाल	सदस्य
5	डॉ० सी०एस चौबे	सदस्य
6	डॉ० शशीकांता भारद्वाज	सदस्य
7	डॉ० देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
8	श्री राजेश दवे	सदस्य
9	श्री संजय शर्मा	सदस्य
10	श्री नरेशधर दीवान	सदस्य
11	डॉ० सुमीत तिवारी	सदस्य
12	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
13	डॉ० विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये :-

विषय क्र. 1- विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय - विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2- क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय - क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

विषय क्र. 3- अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में ताईक्वांडो म०/पु० खेल को शामिल करने पर विचार करना ।

निर्णय - सत्र 2015.16 में अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में ताईक्वांडो म0/पु0 खेल को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । टीम प्रशिक्षण की व्यवस्था महाविद्यालयीन स्तर पर क्रीडा अधिकारी/कोच द्वारा किया जावे ।

विषय क. 4- सत्र 2015-16 में शारीरिक शिक्षा शुल्क के निर्धारण के संबंध में चर्चा कर उचित कदम उठाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय - पं0 रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा शुल्क वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर संचालक, शारीरिक शिक्षा द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया -

- 1 34 खेलों के अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले सबसिडी राशि को दुगनी करने के कारण व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 2 खिलाड़ियों को प्रदान किये जाने वाले डी.ए. की राशि 150/- से बढ़ाकर 250/- रु. तथा कोच , मैनेजर को 200/- से बढ़ाकर 300/- रु. महंगाई को ध्यान में रखते हुये की गयी तथा कोच एवं मैनेजर को विशेष भत्ता रु. 2000/- प्रदान करने से व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 3 खिलाड़ियों को कोचिंग केम्प से लेकर संबंधित खेल टीम के वापस आने तक व्यय भार में वृद्धि हुई है ।
- 4 34 खेलों में 45 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ी को पूर्वोक्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेती है ।
- 5 पूर्व क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में विजेता दल के प्रत्येक खिलाड़ी/कोच/मैनेजर को रु.15000/- प्रदान किया जाता है एवं उपविजेता दल के प्रत्येक सदस्यों को रु.12000/-प्रदान किया जाता है ।

अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक खिलाड़ियों कोय एवं मैनेजर को क्रमशः Rs.15000/-, Rs.12000/-, Rs.8000/- ( तृतीय एवं चतुर्थ ) प्रदान किया जाता है ।

पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार उल्लेखित बिन्दुओं एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यों में Rs. 92.00 Lacs ( Ninety two Lacs ) हुये है प्रत्येक वर्ष नियमित छात्रों से प्राप्त होने वाली शुल्क (Rs. 78.00 Lacs ( Seventy Lacs ) है । इसी प्रकार सत्र 2014-15 से नये विश्वविद्यालय प्रस्तावित है जिसके कारण आय कम होगा जबकि खेल विद्याओं में कमी नहीं किया जा सकता । अतः महाविद्यालयों के द्वारा नियमित छात्रों से शारीरिक शिक्षा शुल्क Rs. 100/- जावे ।



विषय क. 5 स्नातक स्तर के अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सदस्य खिलाड़ी सदस्य परीक्षा तिथि एवं प्रतियोगिता तिथि एक होने पर यदि प्रतियोगिता को प्राथमिकता देते हैं साथ ही जो टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे खिलाड़ियों को उसी विषय में अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान संबंध में विचार करना ।

निर्णय उक्त संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।

विषय क. 6 – शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा यू.जी.सी. से प्राप्त स्पोर्ट्स हास्टल के लिये रुपये Rs. 75.00 Lacs (Seventy Five Lacs) स्वीकृत राशि का समिति को सूचनार्थ ।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1 एक की छात्र/छात्राओं द्वारा अंतर विश्वविद्यालयीन/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की स्थिति में एक ट्रेकसूट दिया जाय ।

2 अंतर विश्वविद्यालयीन/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में लगातार दो वर्ष खेल विधाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को एक ब्लेजर दिया जाय ।



प्रो. एस. के. पाण्डेय  
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति  
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,



डॉ. विपिनचंद्र शर्मा  
संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति  
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषय : मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

मूल विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2015-16 से Physics, Chemistry, Life Science, Mathematics में कक्षाएँ प्रारंभ किया जाना है। Centre for Basic Sciences के प्रयोगशाला हेतु 40 नग कम्प्यूटर का क्रय किया जाना है।

DGS&D द्वारा Item code 34 Configuration Intel Core i5 Operating System Microsoft Windows 8, Chipset Q8 Series रु. 45766=00 सेल्स टेक्स पृथक से देय होगा प्रति नग निर्धारित किया गया है। उक्त HP Desktop Computer का Final Price Rs. 48054.3 टेक्स सहित निर्धारित किया गया है।

विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा एच.पी. कम्प्यूटर गुडगाँव के अधिकृत डिलर में. एसेंट टेक्नालाजी साल्युशन, रायपुर से CBS के लिये 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिस पर रु. 19,22,172=00 व्यय होगा।

अतः CBS के लिये DPC/CPC द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ में 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(16)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०,  
सतपुरा मवन, भोपाल

क्रमांक 79 / 638 / आउशि / अका०प्र० / 09,  
प्रति.

भोपाल, दिनांक- 27/1/09

1. कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य,  
समस्त स्वशासी/उत्कृष्ट महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

विषय:- एनसीसी/एनएसएस/स्पोर्ट्स आदि विद्याओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 'विशेष परीक्षा' का आयोजन।

—000—

एनसीसी/एनएसएस/स्पोर्ट्स आदि विद्याओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन प्रायः नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी माह में ही सम्पन्न होते हैं। इसके आयोजन में भाग लेने के लिए चयनित होना गौरवमय है एवं विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक वार्षिक परीक्षा पद्धति होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी क्योंकि मुख्य परीक्षाएँ मार्च-अप्रैल में आयोजित होती हैं।

प्रदेश में सत्र 2008-09 से लागू सेमेस्टर की एक मुख्य परीक्षा सामान्य रूप से नवम्बर के अंत या दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अतः उक्त विद्याओं में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन जून अंत/जुलाई प्रथम सप्ताह में आयोजित ए टी के टी परीक्षाओं के साथ सम्पन्न की जावे। ऐसे विद्यार्थी द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर में नियमित अध्ययन/परीक्षा देने के पश्चात् ए टी के टी के समय इनके लिए आयोजित "विशेष परीक्षा" में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही विभिन्न विद्याओं में महाविद्यालय, जिले अक्षा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की अवधि को उपस्थिति में गणना की जाय।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)  
सचिव/आयुक्त,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-27/1/09

पु०क्रमांक 80 / 638 / आउशि / अका०प्र० / 09,  
प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित करें तथा जानकारी प्राप्त कर ऐसे विद्यार्थियों के नाम एवं विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(आशीष उपाध्याय)  
सचिव/आयुक्त,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



विषय : श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध  
में विचार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.74-1/2013(SU-II) March, 2015 द्वारा श्री नंद कुमार चक्रधारी असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का शिक्षक फ़ैलोशिप के लिए चयन किया गया है। छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार श्री चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर को अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन महंगाई भत्ते के अलावा अन्य प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययनअवकाश पर प्रस्थान के पूर्व (प्रपत्र-5) अनुबंध निष्पादित कराया जाना होगा।

अतः श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उपरोक्त उल्लेखित फ़ैलोशिप के लिए छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 16.06.2015 से 15.01.2016 तक 07 माह अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

To,

The Vice-Chancellor  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur (C.G.) - 492010

*Regish*  
*05/04/15*

1141  
06.04.15

18

Through : The Head, SoS in Physics & Astrophysics, Pt. R. S. University, Raipur.

Ref : Science Academies' Summer Research Fellowship,  
UGC Teacher Fellowship under Faculty Development Programme.

*Dr. A.*  
*E*

*Dr. Anupama*  
*10/4/15*

Subject : Application requesting to grant Study Leave.

Respected Sir,

You will be happy to know that Indian Academy of Sciences has selected me for the award of Summer Research Fellowship for a period of **two months** to work at Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bangalore under the supervision of Prof. G.C. Anupama.

I have also been selected for the UGC Teacher Fellowship award under Faculty Development Programme for a period of **six months** by University Grant Commission, New Delhi. This fellowship has been awarded to complete my thesis entitled "Observational Study of Type Ia SNe" under the supervision of Prof. D.K. Sahu, IIA, Bangalore and co-supervision of Prof. S.K. Pandey Vice-Chancellor, Pt. R.S. University, Raipur.

**There is also provision of a substitute teacher by UGC who will work in place of me during my Teacher Fellowship period (16<sup>th</sup> July 2015 to 15<sup>th</sup> January 2016).**

The thesis work involves data analysis, paper work and writing which need to be discussed and critically checked by my supervisor. Hence, I need to visit Indian Institute of Astrophysics, Bangalore to complete my thesis work.

Therefore, I request you to kindly allow me to visit IIA, Bangalore to work under Summer Research Fellowship and UGC Teacher Fellowship granting me study leave of seven months from 16<sup>th</sup> June 2015 to 15<sup>th</sup> January 2016 along with the necessary HQ leaving permission.

Thanking you

Date:- 04<sup>th</sup> April 2015

With kind regards

Sincerely yours

*N. Chakradhari*

Nand Kumar Chakradhari

Encl. : Summer Fellowship Award  
UGC Teacher Fellowship Award

Asst. Prof., SoS in Physics & Astrophysics  
Pt. R.S. University, Raipur, C.G.

*2.190*  
*9.6.15*

2571  
1452  
614115

*Forwarded*

*Rub...*  
Professor & Head,  
P.S. in Physics & Astrophysics,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
RAIPUR, (C.G.) 492010

*VC 2571*  
*21/4/15*

# SCIENCE ACADEMIES' SUMMER RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME

19

Professor K.L. Sebastian  
Chairman, Science Education Panel  
Indian Academy of Sciences

Date: 27 March 2015

Dr Nand Kumar Chakradhari  
Assistant Professor, Physics Dept  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur 492 010

Dear Dr Chakradhari,

This has reference to your application **PHYT68** for an IASc-INSa-NASi Summer Research Fellowship in 2015. We are happy to offer you a Fellowship to work for two months during this summer. You will be working with Professor G.C. Anupama, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore (e-mail: gca@iiap.res.in).

We have tried as far as practicable to assign you to a guide in the area mentioned by you. **Where that has not been possible, you will work with the assigned guide in a related area that will be determined by the guide, and trust that the experience will be fruitful to you. No changes can be made in this regard.**

This Fellowship is subject to the following norms:

- The duration of the Fellowship is **eight weeks (56 days – including Sundays and General Holidays), and is not to be reduced.**
- You will be provided a III-tier A/c train fare from Raipur to IIA, Bangalore and back.
- If you are NOT an INSPIRE/KVPY Fellowship holder, you will be paid a Fellowship of Rs. 12000/- per month towards your boarding, lodging and local transport expenses. Those who are in receipt of INSPIRE/KVPY Fellowship will be covered by a separate arrangement, the details of which will be communicated later.
- Regarding accommodation, Professor Anupama has indicated that she would be unable to arrange your accommodation in Bangalore. We hope you would be able to make your own arrangements.

Please also go through carefully & comply with all the Instructions given in the attached sheet.

You are advised to get in touch with Professor Anupama immediately to work out the exact period of your visit. In the meantime please communicate with Mr C.S. Ravi Kumar, Assistant Executive Secretary of IASc, your acceptance of this Fellowship. We would need a joining report from you upon your arrival, and a brief report of your work at the end of four weeks so that your Fellowship for the first month can be paid. After the receipt of the final report, we shall release the remaining amount due to you along with your travel fare.

We urge you to convey your acceptance of this fellowship within 7 days by both online (the userid and password given at the bottom of the email) as well as by **returning the Form of Acceptance posted to you.** Even if you are not able to accept the fellowship, this should be communicated to the Academy immediately (both by email and in the Form of Acceptance) so that the fellowship can be awarded to another candidate in the waiting list.


With best wishes,

Yours sincerely,

*K.L. Sebastian*  
K.L. Sebastian



Indian Academy  
of Sciences  
Bangalore



Indian National  
Science Academy  
New Delhi



The National Academy  
of Sciences, India  
Allahabad

**Contact Address :**

Indian Academy  
of Sciences  
P.B. No. 8005  
C. V. Raman Avenue  
(near Mekhri Circle)  
Sadashivanagar P.O.  
Bangalore 560 080

**Telephone :**

91-80-2266 1207  
91-80-2266 1202  
90-80-2266 1221

**Fax :** 91-80-2361 6094

**Email :**

joinsrf@ias.ernet.in

**Website :** www.ias.ac.in



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110002

March, 2015

No.F.74-1/2013(SU-II)

18 MAR 2015

The Registrar,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur - 492 010(Chhattisgarh).

Subject: **Award of Teacher Fellowship to Sh. Nand Kumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur under Faculty Development Programme during XII Plan Period.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 1730/Grants Cell/2014 dated 19.11.2014 and letter No. nil dated 22.01.2015 received from Sh. Nand Kumar Chakradhari on the subject cited above and to convey the approval of the U.G.C. for award of Teacher Fellowship to **Sh. Nand Kumar Chakradhari, Assistant Professor, School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur** for completing Ph.D at Dept. of School of Studies in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur under Faculty Development Programme for the period of **six months** from the date of his joining as teacher fellow.

Terms and conditions of the scheme are as below based on the guidelines of Faculty Development Programme during XII Plan :

- (1) The teacher will continue to receive full salary from the parent University during the period of teacher fellowship.
- (2) A teacher fellow will be eligible for reimbursement of actual contingency expenditure subject to a maximum of Rs.15,000/- per year. The accounts for contingency grant and audited Utilization Certificate may be submitted to UGC.
- (3) The salary of the substitute teacher, appointed by the university in place of a teacher selected for award of Teacher Fellowship, will be reimbursed by the UGC. The university will make a fresh appointment of a substitute teacher in accordance with the prescribed procedure of UGC, on the minimum pay scale prescribed for a Lecturer. If the substitute teacher is appointed on a pay scale higher than the minimum pay scale of a Lecturer, the grant towards reimbursement of the salary of the substitute teacher will be restricted by the UGC to the minimum scale and the balance amount will be met by the respective university or by the respective state Government. If the post vacated by the Teacher fellow is filled by transfer or deputation, such a substitute's salary will not be reimbursed. The substitute teacher must be appointed on a full time basis.  
The Commission will not pay the salary of the substitute teacher if appointed on a part time basis, unless there are substantial reasons for same. The substitute teacher will not be entitled to yearly increments. The substitute teacher would also be entitled for salary for the extended period of the Teacher Fellow.

p.t.o.